

226
2021

2021/1584/8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~जापुरा~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प
प्रशासन आनी न्याय सेवा अधिनियम-2021

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुहराई" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बापुरा	40	लीमा कुशी का 2 भाग - 40 मन्सु कुशी का 2 भाग	मुक्तिशर्मा जी की 1 भाग का 2 भाग - 40 मेहरा जी मन्सु कुशी का 2 भाग जो 2 भाग अर्थात्

(सहस्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :- 037-939

दिनांक :- 11/2/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर सालाना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,

11/2/21